# न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली

*पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस*

मुकदमा नम्बर 88/019 तारीख रजू 19.02.2019

1 सरकार जरिये तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली :–प्रार्थी

बनाम

1 रामगोपाल पुत्र कन्हैया जाति मीना निवासी नौद तहसील टोडाभीम जिला करौली
– अप्रार्थी

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 07.08.2019

भूमिधारी तहसीलदार टोडाभीम ने अप्रार्थीयान के विरूद्व यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स का प्रस्तुत कर अवगत कराया है। कि आराजी खसरा नम्बर 535 रकवा 0.40 है0.ग्राम नाद तहसील टोडाभीम मे स्थित है जिसका प्रार्थी लेण्ड होल्डर है। यह कि गत आराजी खसरा नम्बर 75 रकवा 1 वीघा सन् 1947 एवं इसके पश्चात गैरमुमकिन नाली के रूप मे दर्ज था परन्तु मिसल बन्दोबस्त सम्बत 2043 से 62 यह भूमि अप्रार्थी के नाम जरिये आवंटन से खातेदारी मे दर्ज हो गई है। तत्पश्चात भू प्रबन्ध विभाग द्वार गत खसरा नम्बर 985 मि. का नवीन खसरा नम्बर 535 रकवा 0.40 है0.बनाकर हाल जमाबंदी मे अप्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड मे दर्ज झील तालाब नदी नाले जलाशय आदि की भूमि पर निजी खातेदार अधिकार उदभूत नही होते है। इस प्रकार से यह अंकित हस्तानान्तकरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0सिबिल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 के द्वारा नदी,नाले,जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.8.1947 मे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। को वापिस सरकारी भूमि दर्ज करने एवं इसके बाद हुये परिवर्तन को अवैध घोषित किये जाने निर्देश है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है। कि खसरा नम्बर 535 रकवा 0.40 है0.वाके ग्राम

प्रार्थी का प्रार्थना दर्ज पंजीका कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया जिसमें अप्रार्थी जरिये वकालान्तन उपस्थित हुआ ओर जबाब प्रार्थनापत्र पेश किया गया अपने जवाव कथन मे कहा गया की गलत रेफरेन्स पेश किया गया है प्रार्थी ने काभी धन लगाकर भूमि को समतल कर उसमे बोरिग बनाई गई है। 70 साल सें आराजी पर कब्जा कर कास्त कर रहा हू अंत मे प्रार्थनापत्र खरिज करने का निवेदन किया है।

वकील अप्रार्थी की बहस सुनी गई। अपने बहस कथन मे जवाव को दोहराते हुए प्रार्थनापत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

हमने वकील अप्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत जवाव एवं प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन करने पर पाया कि बन्दोबस्त सम्बत 2008 से 2018 की खाता सख्या 01 मे आराजी खसरा नम्बर 75 भूमि गैरमुमकिन नाली के नाम से दर्ज रिकार्ड था जो कि इस आराजी मे से मुताबिक जमाबंदी सम्बत 2072 से 75 मे परिवर्तन होकर अप्रार्थी के नाम आराजी खसरा नम्बर 535 रकवा 0.40 है0 भूमि गैर मु0 नाली को मिलाकर खातेदारी स्वीकृत हुयी थी जिसमे से 0.25 है0 भूमि गैर मु0 नली है जो अब चाही– तीन हाल जमाबंदी सम्बत 20725 से 75 मे अप्रार्थीयान के नाम खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड होकर मौके पर काबिज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड मे दर्ज झील,तालब,नदी,नाले,जलाशय आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उदभूत नही होते है। जो भी इन्द्राज हुये वो अवैध है। एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य है। जो निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल जनहित याचिका सख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 2.8.2004 के अपने विस्तृत निर्णय मे उल्लेख किया हैं कि All land shown as drainage channels like nalla,rivers,tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Government land.Any conversions made after 15-8-1947 should be declared illegal.The relevant act and rules must be ammened accordingly. माननीय उच्च न्यायालय के खण्ड पीठ द्वारा जनहित याचिका मे पारित निर्णय से हम सहमत हैं।

अतः भूमिधारी तहसीलदार टोडाभीम का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 535 रकवा 0.40 है0 मे से 0.25 है0 ग्राम नोद तहसील टोडाभीम जिला करौली कि भूमि को बापिस मुताबिक बन्दोबस्त सम्बत 2008 से 2018 के अनुसार राजकीय गैरमुमकिन नाली दर्ज करने की स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व